



“विधायक आदर्श ग्राम योजना”

महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-25 / 2015 / 34-2 / 1875  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21/5/15

✓ प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय :- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग “विधायक आदर्श ग्राम योजना” में किये जाने बाबत।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का पत्र क्र. एफ 08-21/2009/23, दिनांक 24.04.2015

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में “ विधायक आदर्श ग्राम योजना” के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना में मान. विधायक गणों द्वारा प्रदेश की 90 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है।

2/ चयनित आदर्श ग्राम में कार्यो हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।

3/ इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में कंडिका 1.3 (क) के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 1.4 स्थापित किया जाता है :-

“1.4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग विधायक आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिये ग्राम पंचायत को विधानसभा क्षेत्र में होने का बंधन नहीं रहेगा।”

अतः उक्त कंडिका पर आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करे।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

F/LETTERS (2015-16) All

HOS/EE/SF-T/P/CE(M)/E-in-C

425

